(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 47/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि.... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की धारा 3 की उप धारा (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)की निम्नलिखित अधिसूचनाओं में उक्त सारणी के कॉलम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा तक संशोधन करती है; यथा: -

क्र.सं.	अधिसूचना का नाम तथा तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1	अधिसूचना संख्या 90/2009-सीमाशुल्क, दिनांक 7 सितम्बर, 2009 [सा.का.नि. 644 (अ), दिनांक 7 सितम्बर, 2009]	उक्त अधिसूचना में, - (i) शब्द, अंक और कोष्ठक "सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1)", के पश्चात, शब्द अंक और कोष्ठक, "और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उप धारा (12)" को अंत:स्थापित किया जाएगा; (ii) शब्द और अंक "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, "उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (7) के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
2	अधिसूचना संख्या 60/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 14 जुलाई, 2011	उक्त अधिसूचना में, - (i) शब्द, अंक और कोष्ठक "सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा

	[सा.का.नि. 536 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011]	(1)", के पश्चात, शब्द अंक और कोष्ठक, "और सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51)की धारा 3 की उप धारा (12)" को अंत:स्थापित किया जाएगा; (ii) शब्द, अंक और कोष्ठक "सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण सीमाशुल्क से", के पश्चात शब्द,अंक और कोष्ठक, "और उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (7) के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले संपूर्ण एकीकृत कर से" को अंत:स्थापित किया जाएगा ।

(फाइल संख्या 19354/206/2021-टीआरयू)

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 60/2011-सीमाशुल्क, दिनांक 14 जुलाई, 2011 को सा.का.नि. 536 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 2011के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 73/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 18 अगस्त, 2017, जिसे सा.का.नि. 1030(अ), दिनांक 18 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।